न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 16/2021/प्रार्थना पत्र

उनवान

1. शाहीदा खानम पुत्री जान मोहम्मद खां पत्नि इब्राहीम अली खान जाति मुसलमान नि. पिडावा तहसील पिडावा

– प्रार्थीया

वनाम

1. अनीस अहमद पि. जान मोहम्मद खां जाति मुसलमान नि. पिडावा
2. नफीस अहमद पि. जान मोहम्मद खां जाति मुसलमान नि. पिडावा
3. रईस अहमद पि. जान मोहम्मद खां जाति मुसलमान नि. पिडावा
4. सगीर अहमद पि. जान मोहम्मद खां जाति मुसलमान नि. पिडावा
5. फरीदा खानम पुत्री जान मोहम्मद खां जाति मुसलमान नि. पिडावा
6. शबनम खानम पुत्री शकील अहमद जाति मुसलमान नि. पिडावा
7. समीना खानम पुत्री शकील अहमद जाति मुसलमान नि. पिडावा
8. हीना खानम पुत्री शकील अहमद जाति मुसलमान नि. पिडावा
9. हमीदा खानम पुत्री जान मोहम्मद खां जाति मुसलमान नि. पिडावा
10. शबाना बी पत्नि शकील अहमद जाति मुसलमान नि. पिडावा
11. जहां आरा माता शमीम आरा पिता मसूद उल्ल हसन नि. मेहदीपुर म0प्र0
12. समीर जैदी माता शमीम आरा पिता मसूद उल्ल हसन नि. मेहदीपुर म0प्र0
13. फरीदन जैदी माता शमीम आरा पिता मसूद उल्ल हसन नि. मेहदीपुर म0प्र0
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टी.एक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.12.26 16:50:39 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति – वकील प्रार्थीगण – श्री हुकमचन्द

वकील अप्रार्थीगण – श्री विनोद

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

COURT 2023

Scanned with OKEN Scanner

(5)

आदेश दिनांक : 10/10/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने धारा 212 रा.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पिड़ावा तहसील पिड़ावा की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 241 की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 758 रकबा 0.0759 हेक्टर व ख.नं. 759 रकबा 0.2909 हेक्टर किता 2 रकबा 0.3668 हेक्टर भूमि जो प्रार्थिया एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 10 की सहखातेदारी की है। अप्रार्थी सं. 11, 12, 13 की माता सहखातेदार की मृत्यु होने से उनके वैध वारीसान को पक्षकार बनाया गया है।

उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थिया का 1/10 भाग निहित होकर सहखातेदार है तथा सम्पूर्ण आराजी जान मोहम्मद खां जी की मृत्यु होने पर उनके वैध वारीसान के नाम सहखातेदारी में दर्ज हुई है। मृतक जान मोहम्मद खां जी की पुत्री खालीदा खानम ने अपना हक हिस्सा 1/10 भाग अनीस अहमद के पक्ष में देने से उनका सहखातेदारी में 1/5 भाग दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त आराजी आबादी के नजदीक होने से सहखातेदारान द्वारा अपनी इच्छा व सुविधानुसार निर्माण कार्य किया है तथा कृषि व निवास के कार्य में ले रहे है। प्रार्थिया अपना 1/10 हिस्सा कृषि उपयोग में लेना चाहती है एवं उपजाऊ बनाने हेतु विकास कार्य करना चाहती है परन्तु राजस्व रिकार्ड में बंटवारा नहीं होने से अप्रार्थीगण प्रार्थिया को अपने हक की मस्जिद के सामने की भूमि पर कार्य नहीं करने देना चाहते है। प्रार्थिया ने अपना 1/10 हिस्सा अलग खाता दर्ज करवाने की कही परन्तु वे इंकार हो गये। सहखातेदार अप्रार्थी के द्वारा बिना वैधानिक बंटवारा के वादग्रस्त आराजी पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया। प्रार्थिया का प्रथम दृष्टया ठोस प्रकरण है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिया के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर अवैध निर्माण करने, भूमि का रूप परिवर्तन करने, प्रार्थिया का कब्जा हटाने, भूमि का बेचान करने, आदान प्रदान, अन्तरण करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थिया को अपूरनीय क्षति होगी इस कारण प्रार्थिया अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की पात्र है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाये कि वे ग्राम पिड़ावा तहसील पिड़ावा की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 241 की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 758 रकबा 0.0759 हेक्टर व ख.नं. 759 रकबा 0.2909 हेक्टर किता 2 रकबा 0.3668 हेक्टर भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.12.26 16:50:39 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2023

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थिया के 1/10 हिस्से पर अवैध निर्माण करने, भूमि का रूपा परिवर्तन करने, प्रार्थिया का कब्जा हटाने, भूमि का बेचान करने, आवास प्रदान, अन्तरण न तो स्वयं करें और न ही अन्य से कराने। वादग्रस्त आराजी की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम पिड़ावा की जमाबंदी खाता सं. 241, खसरा गिरदावरी, नक्शा ट्रेस, प्रार्थना पत्र दिनांक 12.02.2021, नगर पालिका पिड़ावा का नोटिस दिनांक 10.02.2021 की छायाप्रति पेश की।

अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर अप्रार्थी सं. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 की ओर से जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को अस्वीकार कर विशेष कथन में निवेदन किया कि पक्षकार के पिता जान मोहम्मद जी का इन्तकाल दिनांक 17.03.1984 को बिना वसीयती हुआ है। पक्षकार जाति से मुस्लिम है। मुस्लिम पर्सनल विधि अनुसार हाजी जान मोहम्मद जी की विवादित भूमि में पत्नि आबादी बेगम का 1/8 हिस्सा शेष 7/8 हिस्से में 5 पुत्रों का (अप्रार्थी सं. 1, 2, 3, 4 व मृतक शकील अहमद) का तथा पुत्रों से 1/2 हिस्सा पांच पुत्रियों का है परन्तु फोती नामान्तरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार पांच पुत्रों एवं पांच पुत्रियों में सभी को बराबर बराबर 1/10, 1/10 हिस्से अनुसार इन्तकाल तस्दीक कर दिया जो अवैधानिक होने से प्रार्थिया का 1/10 हिस्सा अस्वीकार है। उक्त भूमि बगीची गुलाब बावडी बंगला करीब 100 वर्षो से पुराना रिहायशी है जो घनी आबादी वार्ड नं. 3 नगर पालिका पिडावा में स्थित है जिसमें कभी काश्त नहीं हुई है। समस्त पुत्रों ने अपने माता पिता के जीवित रहते मौखिक आपसी विभाजन कर मौके पर खाली पडी जमीन का पक्का निर्माण करा लिया है। अप्रार्थीगण ने अपने हिस्से की कुछ भूमि को आवासीय रूपान्तरण करवाया है। मौके पर भूमि के किसी हिस्से पर काश्त नहीं हो रही है। रिहायशी बंगले के बंटवारे का वाद केवल सक्षम दीवानी न्यायालय में दायर किया जा सकता है। वादग्रस्त भूमि भू परिवर्तन होने से वाद सुनने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। प्रार्थिया का प्रथम [illegible] और प्रार्थिया के पक्ष में कोई सुविधा का संतुलन नहीं है। प्रार्थिया को कोई [illegible] हो रही है अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.12.26 16:50:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज॰)

उपखण्ड अधिकारी
COURT 2023

Scanned with OKEN Scanner

(7)

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र/जवाब पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया।

प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया।

इस प्रकरण में ग्राम पिडावा तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 241 की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 758 रकबा 0.0759 हेक्टर व ख.नं. 759 रकबा 0.2909 हेक्टर किता 2 रकबा 0.3668 हेक्टर भूमि प्रार्थिया एवं अप्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थिया 1/10 हिस्से की रिकार्डेड खातेदार है। वादग्रस्त आराजी का विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। प्रार्थिया का प्रथम दृष्टया प्रकरण सही है एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थिया के पक्ष में है। वादग्रस्त आराजी का स्वरूप परिवर्तन करने से प्रार्थिया को अपूरनीय क्षति की संभावना रहेगी। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम पिडावा की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 758 रकबा 0.0759 हेक्टर व ख.नं. 759 रकबा 0.2909 हेक्टर किता 2 रकबा 0.3668 हेक्टर भूमि में प्रार्थिया के 1/10 हिस्से की भूमि पर अवैध निर्माण करने, भूमि का रूप परिवर्तन करने, प्रार्थिया का कब्जा हटाने, भूमि का बेचान करने, आदान प्रदान, अन्तरण न तो स्वयं करें और न ही अन्य से करावे। वादग्रस्त आराजी की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

आदेश आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

अभिषेक चारण
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.12.26 16:50:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner